

न्यायालय तहसीलदार मसूदा, जिला - अजमेर

राजस्थान सरकार के लिए पटवारी हल्का-

खसरा नं

बनाम श्री

गोपाल

य० सं० 179/2019

पुत्र

काना

जाति

माली

निवासी

मधोगा

भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट

-निर्णय:-

दिनांक 13/8/2019

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का खसरा नं-11 द्वारा सम्वत् 2076 ग्राम मधोगा की सिवायचक नाम खसरा नम्बर 421 कुल रकबा 35-18-0 किस्म भूमि 97.3 में से रकबा 1-10-0 बीघा भूमि पर अप्रार्थी श्री गोपाल पुत्र काना जाति माली निवासी मधोगा द्वारा नाजायज वाइल्ड कर लिये जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 13/8/19 को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने वाबत जारी किया गया।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं गमन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर कब्जा है।

अतः श्री गोपाल पुत्र काना जाति माली निवासी मधोगा को सिवायचक भूमि ग्राम मधोगा के खसरा नं 421 कुल रकबा 35-18-0 किस्म भूमि 97.3 में से रकबा 1-10-0 भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काश्त के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से वेदखल किया जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान का पचास गुणा 50/- रुपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खड़ी फसल/ अन्य को जब्त सरकार कर निलाम किया जावे आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/8/2019 को मेरे द्वारा लिखावाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया।

(प्रभात त्रिपाठी)

तहसीलदार मसूदा
जिला - अजमेर

वर्ष 2019-20 के रा.ले. 4 रजिस्टर के

पृष्ठ सं. पर रु. 50 की मांग कायम की गई।

त.प.ले. दिनांक 13/8/19